

क्या मैं मतदान करने के लिए पात्र हूँ?

प्रत्येक राज्य में इस संबंध में थोड़े भिन्न नियम हैं कि मतदान करने के लिए कौन पात्र है। सामान्य रूप से:



आप अमेरिका के नागरिक अवश्य होने चाहिए

आप उस समुदाय के निवासी अवश्य होने चाहिए जहाँ आप मतदान करना चाहते हैं (कभी-कभी न्यूनतम समय अवधि तक)



आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए

(कुछ समुदायों में, 18 वर्ष से कम आयु के लोग कुछ स्थानीय या प्राथमिक चुनावों में पंजीकरण करा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं)



कुछ राज्यों में, लेकिन सभी में नहीं, किसी बड़े अपराध की दोषसिद्धि, न्यायिक निर्णय या अन्य प्रक्रिया के कारण व्यक्तियों को मतदान करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि मतदान करने के लिए अपनी पालता के बारे में आपके प्रश्न हैं, तो अपने राज्य या स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें। अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों को खोजने के लिए, आप <http://www.vote.gov/> पर जा सकते हैं।



मुझे मतदान करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है?

अधिकांश राज्यों के यहाँ अपेक्षित है कि मतदाताओं को मतदान करने से पहले पंजीकरण कराना होगा।

<http://eac.gov/vote> पर जाकर मतदान पंजीकरण समय-सीमाओं सहित अपने राज्य की जानकारी खोजें।



बहुत से राज्य मतदाताओं को ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति देते हैं। आप अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं या मतदाता पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और डाक में लौटा सकते हैं। आप 21 भाषाओं में अनूदित राज्य-विशिष्ट निर्देश और मतदाता पंजीकरण फॉर्म यहाँ पा सकते हैं:

<https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form>



यदि मतदान प्रक्रिया के बारे में आपके प्रश्न हैं, तो अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी से पूछें।

राज्य और स्थानीय चुनाव अधिकारी आधिकारिक मतदान जानकारी का सबसे विश्वस्त स्रोत हैं। आपके स्थानीय चुनाव अधिकारी आपकी पंजीकरण स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि आप कब और कहाँ मतदान कर सकते हैं। आपका स्थानीय चुनाव अधिकारी आपको नमूना मतपत्र या इसके बारे में अन्य जानकारी प्रदान कर सकता है कि आपके मतपत्र पर कौन से पद और मुद्दे होंगे।

मतदान करने के लिए जाने पर मैं क्या अपेक्षा कर सकता/सकती हूँ?

व्यक्तिगत रूप से मतदान करना



आप द्वारा मतदान करने के लिए जाने से पहले, अपना निर्धारित मतदान स्थान अवश्य खोज लें और उस समय की जाँच कर लें जब आपके राज्य में मतदान स्थान खुले होंगे।

जब आप मतदान करने जाते हैं, तब आपको किसी मतदान कर्मचारी के यहाँ चेक इन करना होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि आप मतपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कुछ राज्यों में, आपको मतपत्र जारी किए जाने से पहले आपको सरकार द्वारा जारी फोटो ID दिखाने की ज़रूरत हो सकती है।

डाक द्वारा मतदान करना

आपके राज्य के आधार पर, आप डाक में मतपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।



यह पता लगाने के लिए अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी से पूछें कि डाक से मतपत्र कैसे प्राप्त करें, आपका मतपत्र कब और कहाँ लौटाया जाना है, और डाक में आपका मतपत्र कैसे ट्रैक करें।

आप मतदान करते समय भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सभी मतदाता सुगम मतदान उपकरण का उपयोग करते हुए मतदान कर सकते हैं और कुछ अधिकारक्षेत्र अंग्रेज़ी के सिवाए अन्य भाषाओं में मतपत्र और अन्य मतदान सामग्री प्रदान कर सकते हैं।

मैं कैसे सहायता कर सकता/सकती हूँ?

प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है कि चुनाव निष्पक्ष, सटीक और सुरक्षित हों। नीचे कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सहायता कर सकते हैं:



पात्र हो जाने पर तुरंत मतदान करने के लिए पंजीकरण कराएं।



अपनी मतदाता जानकारी नवीनतम रखें। यदि आपके नाम, पते या पार्टी से संबंध में परिवर्तन हो जाता है, तो अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी से संपर्क करें।



जानकारी के विश्वस्त स्रोतों से मतदान प्रक्रिया के बारे में किसी भी जानकारी का सत्यापन करें।

अंत में, आप जिस बेहतरीन तरीके से सहायता कर सकते हैं, वह मतदान कर्मी के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए साइन अप करना है।

चुनाव अपने समुदायों को सेवा प्रदान करने के लिए आप जैसे दसियों हजार लोगों पर निर्भर करते हैं। अपने समुदाय को सेवा प्रदान करने के अवसरों के बारे में और अधिक जानने के लिए अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें। आपके राज्य की जानकारी यहाँ उपलब्ध है:

<https://www.eac.gov/help-america-vote>



अमेरिकी चुनाव सहायता आयोग चुनाव अधिकारियों को चुनावों के प्रशासन में सुधार करने में सहायता करता है और अमेरिकियों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने में सहायता करता है।



United States Election Assistance Commission (संयुक्त राज्य
चुनाव सहायता आयोग)

633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001
www.eac.gov



मतदान 101 (Voting 101)

नए मतदाताओं के लिए चुनाव जानकारी



United States Election Assistance Commission (संयुक्त राज्य
चुनाव सहायता आयोग)

633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001
www.eac.gov